न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
हीरालाल पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति अग्रवाल, निवासी सदर बाजार, आबूपर्वत व अन्य – 2		देवीसिंह पुत्र स्व.सोमसिंह, जाति राजपुत, निवासी ओरिया व अन्य – 4

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2021

दिनांक 21.06.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ओरिया में कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है। जो कि अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री सोमसिंह उर्फ सोमा पुत्र धरमा जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि का बेचान श्री सोमसिंह द्वारा प्रार्थी संख्या 01 की पत्नि व प्रार्थी संख्या 02 व 03 की माता स्व. बनारसी देवी के नाम दिनांक 01.09.1969 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया था व उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का कब्जा भी उसी रोज बनारसी देवी को सुपुर्द कर दिया था। यह कि दिनांक 05.09.1969 से रावतमल द्वारा उक्त भूमि पर बनारसी देवी की ओर से पॉचवे भोग पर काश्त की गई। उसके उपरान्त दिनांक 12.06.1975 से सोमसिंह द्वारा बनारसी देवी की ओर से पॉचवे भोग पर खेती की गई जिसकी लिखत भी सोमसिंह द्वारा दिनांक 12.06.1975, 08.12.1980, 08.12.1988 व 22.09.1991 को श्रीमती बनारसी देवी के पक्ष में लिखकर दी गई। यह कि अप्रार्थीगण व उनके पूर्व रसाधिकारी श्री सोमसिंह के मन में कालान्तर में खोट आ गई जिसके चलते सोमसिंह द्वारा भोग पर बनारसी देवी से ली गई भूमि को हड़पने की गरज से व राजस्व रेकर्ड में बनारसी देवी के नाम पर उक्त खरीदी गई भूमि का नामान्तरण दर्ज नही होने का लाभ उठाते हुये उक्त भूमि को पुनः हथियाने की गरज से भूमि पर स्वयं का कब्जा बताते हुये श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत के न्यायालय में वाद संख्या 21/96 अनवान सोमसिंह बनाम हीरालाल , अप्रार्थीगण व श्रीमती बनारसी देवी के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो वाद उक्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2003 को आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर यह निर्णित फरमाया गया कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन विक्रय विलेख निरस्तीकरण के वाद के निस्तारण तक वर्तमान वाद के प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में अतिक्रमण नही करे न किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करे न ही किसी अन्य से करावे। उक्त निर्णय के आलोक में प्रार्थीगण व उनसे पूर्व ही उनकी श्रीमती बनारसी देवी द्वारा उक्त कृषि भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही को स्थगित रखा गया। यह कि उक्त सोमसिंह द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/96 अनवान सोमसिंह बनाम हीरालाल के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त एक अन्य वाद संख्या 95/1999 सोमसिंह बनाम बनारसी देवी श्रीमान सिविल जज आबूरोड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो वाद कालान्तरण में दौराने विचारण न्यायालय श्रीमान सिविल जज वरिष्ठ खण्ड़ आबूपर्वत को अन्तरित हो गया, जहां पर इसका दीवानी मूल वाद संख्या 26/2002 दर्ज रजिस्टर हुआ। यह कि उक्त वाद संख्या 26/2002 (95/99) (29/99) जो कि विक्रय विलेख दिनांक 01.09.1969 के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था, वह माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज वरिष्ठ खण्ड आबूपर्वत द्वारा उनके निर्णय दिनांक 10.03.2014 के माध्यम से खारिज फरमाया गया। यह कि उक्त वाद संख्या 26/2002 दिनांक 10.03.2014 की अपील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड़ के समक्ष की गई जो दीवानी अपील डिक्री संख्या 11/2014 पर दर्ज रजिस्टर हुआ, जो कालान्तर में श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 02 आबूरोड़ को अन्तरित हुई, जहां पर दीवानी अपील डिक्री संख्या 39/2015 पर दर्ज रजिस्टर फरमायी गई। उक्त अपील माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 20.02.2021 के द्वारा निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा पेश अपील को अस्वीकार कर खारिज करते हुए माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड़ आबूपर्वत द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 26/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2014 की पुष्टी की गई। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत अपील व मूल वाद दोनो खारिज हो चुके है। इस कारण माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/1996 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 में अधिरोपित प्रार्थीगण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:07:01 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी का कब्जा नही लेने के स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय अप्रभावी हो चुका है एवं अब प्रार्थीगण विवादित आराजी को राजस्व रेकर्ड में स्वयं के नाम दर्ज कराने तथा उक्त आराजी का कब्जा अप्रार्थीगण से पुनः प्राप्त करने के विधि अनुसार अधिकारी है जिस हेतु यह वाद कब्जा की पुनः प्राप्ति, स्थायी निषेधाज्ञा व खातेदारी अधिकारो की उद्घोषणा हेतु सादर प्रस्तुत किया गया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि मौजा ओरिया मे कृषि भूमि पुराना खसरा संख्या 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है जो कि अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री सोमसिंह उर्फ सोमा पुत्र धर्मा जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की स्वामित्व व आधिपत्य की होकर उनके कब्जे काश्त में है। उक्त भूमि का बेचान श्री सोमसिंह द्वारा प्रार्थी संख्या 01 की पत्नी व प्रार्थी संख्या 02 व 03 के माता स्वर्गीय बनारसी देवी के नाम दिनांक 01.09.1969 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया था व उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का कब्जा भी उसी रोज बनारसी देवी को सुपुर्द कर दिया था, जो कि गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का यह कथन कि दिनांक 05.09.1969 से रावतमल द्वारा उक्त भूमि पर बनारसी देवी की ओर से पांचवे भोग पर काश्त की गयी, का कथन व यह कथन कि उसके उपरान्त दिनांक 12.06.1975 से सोमसिंह द्वारा बनारसी देवी की ओर से पांचवे भोग पर खेती की गयी जिसकी लिखित भी सोमसिंह द्वारा दिनांक 12.06.1975, 08.12.1980, 08.12.1988 व 22.09.1991 को श्रीमती बनारसी देवी के पक्ष में लिखकर दी गयी, कथन भी गलत व झूठा कथन होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में कथन कि अप्रार्थीगण व उनके पूर्व रसाधिकारी श्री सोमसिंह के मन में कालान्तर में खोट आ गयी जिसके चलते सोमसिंह द्वारा भोग पर बनारसी देवी के नाम पर उक्त खरीदी गयी भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं होने का लाभ उठाते हुये उक्त भूमि को पुनः हथियाने की गरज से भूमि का स्वयं का कब्जा बताते हुये श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत के न्यायालय में वाद संख्या 21/1996 अनवान सोम सिंह बनाम हीरा लाल, प्रतिवादीगण व श्रीमती बनारसी देवी के विरूद्व प्रस्तुत किया, का कथन गलत होने से अस्वीकार है, जिसमें उक्त वाद संख्या 21/1996 दाखिल किया जाना तथा उक्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27/02/2003 को आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर यह निर्णय फरमाया जाना कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन विक्रय–विलेख के निरस्तीकरण के वाद के निस्तारण तक वर्तमान वाद के वादीगण उक्त कृषि भूमि में अतिक्रमण नहीं करें न किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे, का कथन स्वीकार है। उक्त पद में यह कथन कि उक्त निर्णय के आलोक में प्रार्थीगण व उनसे पूर्व उनकी श्रीमती बनारसी देवी द्वारा उक्त कृषि भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही को स्थगित रखा गया भी गलत होने से अस्वीकार है। कदापि प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा था ही नही, तो पुनः शब्द द्वारा विवादित भूमि का कब्जा की कार्यवाही का प्रश्न ही नही हो सकता। प्रार्थीगण ने अस्पष्ट तथ्य पद संख्या 03 में दिया है और यह नही बताया है कि विवादित भूमि को दिनांक 01.09.1969 को कूट रचित या कपट पूर्वक क्रय करने के उपरान्त सोमसिंह द्वारा दिनांक 21.05.1996 को दाखिल किये राजस्व वाद तक कुल 26 वर्ष 8 माह 20 दिन तक क्यों नामान्तरण नहीं कराया गया और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पद संख्या 02 में तथाकथित यह कथन कि सोम सिंह द्वारा बनारसी देवी की ओर से पांचवे भोग पर खेती की गयी जिसकी लिखित भी सोमसिंह द्वारा दिनांक 12.06.1975, 08.12.1980, 08.12.1988 व 22.09.1991 को श्रीमती बनारसी देवी के पक्ष में लिखकर दी गयी। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का कथन कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत अपील व मूल वाद दोनो खारिज हो चुके है, इस कारण माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर आबूपर्वत के इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/1996 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 में अधिरोपित प्रार्थीगण पर वादग्रस्त आराजी का कब्जा नही लेने के स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय अप्रभावी हो चुका है, का कथन तथा यह कथन कि अब प्रार्थीगण विवादित आराजी को राजस्व रेकर्ड [illegible] दर्ज कराने तथा उक्त आराजी का कब्जा अप्रार्थीगण से पुनः प्राप्त करने के वि[illegible] अनुसार अधिकारी है, का कथन गलत विवेचना होने से अस्वीकार है। कि प्रार्थी[illegible] विवादित आराजियात के संबंध में खातेदारी अधि[illegible] [illegible] कुल 52 वर्ष 06 माह 13 दिन तक विवादित आराजी का कब्जा नहीं होने से [illegible] यदि प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति अनुसार यदि दिनांक 22.09.1991 से कब्जा उनसे निकल ज[illegible] मानें तो आज इस जवाब प्रस्तुत करने तक कुल 30 वर्ष 05 माह 23 दिन समाप्त हो जाने, जो कई 12 वर्ष हो चुके है, के आधार पर प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त होने की विधि अनुसार संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने दिनांक 06.06.2022 को उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी मौजा ओरिया में कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:07:01 IST
Reason: SelfAttested

...कबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है। हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– मौजा ओरिया में कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है। चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि पर खातेदार नही है पर बाद के विक्रय विलेख एवं सिविल वाद के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

2. सुविधा का संतुलन :– मौजा ओरिया में कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपनी खातेदारी साबित करने में व रिकॉर्ड कब्जा साबित नही कर पाये। अतः प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन अपने हक में साबित करने में असफल रहे है।

3. अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण की ओर से उक्त भूमि बेचान करने से उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी परंतु प्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा भी जाता है तो प्रार्थीगण विक्रय विलेख के आधार पर न्यायालय में क्षतिपूर्ति दावा कर सकते है। अतः अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कर पाने में असफल रहें।

चूंकि प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्तो में से सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है तथा उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि का बेचान श्री सोमसिंह द्वारा प्रार्थी सं. 01 की पत्नि व प्रार्थी संख्या 02 व 03 की माता स्व. बनारसी देवी के नाम दिनांक 01.09.1969 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया था जबकि सोमसिंह द्वारा इस न्यायालय में उक्त भूमि के कब्जे के संबंध में वाद 1996 में पेश किया गया था अतः 1969 से 1996 तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरण क्यों नही दर्ज करवाया गया यह विचारणीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी मौजा ओरिया में कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 519, 530, 531, 968/1, 968/2, 991 की आराजी कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 686, 697, 698, 1233, 1234 व 1258 आयी हुई है।

विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रहे है साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है तथा उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि का बेचान श्री सोमसिंह द्वारा प्रार्थी सं. 01 की पत्नि व प्रार्थी संख्या 02 व 03 की माता स्व. बनारसी देवी के नाम दिनांक 01.09.1969 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया था जबकि सोमसिंह द्वारा इस न्यायालय में उक्त भूमि के कब्जे के संबंध में वाद 1996 में पेश किया गया था अतः 1969 से 1996 तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का नामान्तर[illegible] यह विचारणीय है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तक[illegible] परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] के [illegible] वगणो का निस्तारण इस प्रकरण के मूल वाद के निर्णय के समय किया जा सकता [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लि[illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:07:01 IST
Reason: SelfAttested

29.6.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत